

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल

कमांक 33 अ-82/19-20/ चैनपुर/5813 बैतूल दिनांक 25-06-2020
प्रति,

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बैतूल।
- 3- तहसीलदार मुलताई।
- 4- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुलताई।

विषय:- मौजा चैनपुर तहसील मुलताई, हरदौली जल आर्वाधन योजना के भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

विषयान्तर्गत भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त हुई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त विशेषज्ञ समिति की राय का आपके कार्यालय, ग्राम स्तर एवं समुचित सरकार की वेबसाईट पर विधिवत प्रकाशन किया जाकर अवगत करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



25/6/20
(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 33 अ-82/ 19-20/5813
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 25-06-2020

- 1- प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
को विशेषज्ञ समिति की राय का विधिवत प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

25/6/20
कलेक्टर,
बैतूल

विषय:- हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु मौजा चैनपुर तहसील मुलताई की भूमि का अर्जन हेतु विशेषज्ञ समिति की राय।

—00—

विषयांकित भूमि अर्जन के प्रकरण मे निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था :-

ए-(तकनीकी विशेषज्ञ)

1. श्री राहुल शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मुलताई जिला बैतूल अध्यक्ष
- बी- (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ)
2. श्री आर.सी.गव्हाड़े सहायक यंत्री
नगर पालिका परिषद मुलताई जिला बैतूल
3. श्री धीरेन्द्र राठौर
उपयंत्री नगर पालिका परिषद मुलताई जिला बैतूल सदस्य
- सी- (दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी)
4. श्री प्रकाश अग्रवाल निवासी - मुलताई, जिला बैतूल सदस्य
5. श्री मंचीतराव गीद निवासी - मुलताई, जिला बैतूल सदस्य
- डी- (ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधि)
6. श्री पिन्दू ठाकरे निवासी - चैनपुर सदस्य
7. श्री विजय पाठेकर निवासी - चैनपुर सदस्य

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति को हरदौली जल आवर्धन योजना, हेतु भू- अर्जन प्रकरण मे पूर्व मे सामाजिक समाघात निर्धारण समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विशेषज्ञ समिति नामांकित सदस्यों को प्रदाय की गई।

अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई जिला बैतूल के द्वारा समिति सदस्यों की बैठक बुलाई जाकर हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु भूमि के अर्जन के संबंध मे भू-अर्जन की प्रक्रिया साथ ही योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं प्रभावित परिवारो के व्यवस्थापन के संबंध मे तथा योजना से संबंधित लाभ की समस्त जानकारियों से अवगत कराया गया जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु विधिनुसार एवं निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डो के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है, समग्र खर्च की तूलना मे परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
- (7) पर्यावरण पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा। क्षेत्र मे जलस्तर की मात्रा अधिक होने के साथ वृक्षोरापण मे अधिक मात्रा मे किया जाकर वृक्षो को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है।
- (8) क्षेत्र के पशु पक्षियों को वर्ष भर सुगमता से पानी प्राप्त होते रहेगा एवं उनके चारे आदि की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सकेगी।

दिनांक 25-2-2020



उपयंत्री

नगरपालिका परिषद, मुलताई




सहायक यंत्री

नगर पालिका परिषद, मुलताई



मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मुलताई





ग्राम पंचायत राजेवांव

yash kumar